न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 07/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. संजय कुमार पुत्र श्री लीलूराम जाति सुथार निवासी चक 2 के ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री लीलूराम जाति सुथार निवासी चक 2 के ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— वादीगण

बनाम

1. लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र श्री जीवनराम जाति सुथार निवासी चक 2 के ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. अंशुल कुमार पुत्र श्री लीलूराम जाति सुथार निवासी चक 2 के ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादीगण)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी–1 ता 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक–11.02.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 लीलूराम उर्फ लीलाधर वादीगण के पिताजी तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का भाई है। चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29 30 की कुल 7.401 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कषि भमि में से 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर कृषि भूमि वादीगण के पिताजी (लीलूराम उर्फ लीलाधर पत्र जीवनराम) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी जीवनराम पत्र तेजाराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन इन्तकाल संख्या 15 दिनांक 30/05/1974 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज कृषि भूमि अपने दादाजी तेजाराम व पिताजी जीवनराम से प्राप्त दर्द होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 7/8 एवं विरास्तन नामान्तरण संख्या 15 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के तीन पुत्र (संजय कुमार, प्रदीप कुमार व अंशुल कुमार) है इसके अलावा पतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 के की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
संजय कुमार, प्रदीप कुमार, अंशुल कुमार पिसरान श्री लीलूराम, कौम सुथार साकिन चक 2 के तहसील व जिला	चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29, 30 की कुल 7.401 हैक्टयर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

श्रीगंगानगर बाहिस्सा बराबर बराबर	नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से (लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम) के नाम दर्ज 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर कृषि भूमि में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि
लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम जाति सुथार साकिन चक 2 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29 30 की कुल 7.401 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से (लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम) के नाम दर्ज 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है। इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य हुए बंटवारा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आवेदन किया तो उन्होने दिनांक 27/12/2019 को इन्कार कर दिया है। यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :

(क) यहकि चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29 30 की कुल 7.401 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण के पिताजी (लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम) के नाम दर्ज 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहिस्सा बराबर बराबर घोषित की जावे ।

(ख) यहकि उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाने का अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) यहकि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जाते ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 20.02.2020 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगों ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29 30 की कुल 7.401 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम) के नाम दर्ज 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 अंशुल कुमार को दी हुई है । अतः उक्त राजीनामानुसार चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29, 30 की कुल 7.401 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम) के नाम दर्ज 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 अंशुल कुमार की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 12.03.2020 को ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में मन उतरदाता भी सहमत हूं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो मन उतरदाता को कोई आपति नहीं है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में मांगा गया अनुतोष प्रदान करवाने में मन उतरदाता सहमत है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर चक 2 के पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29 30 की कुल 7.401 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम) के नाम दर्ज 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण एवं मन प्रतिवादी संख्या 2 अंशुल कुमार की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का कुर्सीनामा एवं अपनी माता श्रीमती वेदवन्ती देवी पत्नी श्री लीलूराम उर्फ लीलाधर का सहमति शपथ पत्र पेश किया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 2 के, पटवार हल्का 4 के भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला खाता संख्या 7/8 पेश की। वादी द्वारा विरास्तन इंतकाल के साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 ग्राम 2 के, पटवार हल्का 4 के भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर खाता संख्या 8/9 की प्रति पेश की। वादी द्वारा नामान्तकरण पंजिका ग्राम 2 के तहसी. श्रीगंगानगर की प्रमाणित प्रति पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 2 के, पटवार हल्का 4 के भू.अ.नि. क्षेत्र मिर्जेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 7/8 के मुरब्बा नम्बर 16, 23, 24, 29, 30 की कुल 7.401 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 (लीलूराम उर्फ लीलाधर पुत्र जीवनराम) के नाम दर्ज 3832/7401 हिस्सा यानि 3.832 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 अंशुल कुमार को 3/4 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम्

Scanned with CamScanner

उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11.02.2020 को जारी किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner